



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273534
CG-DL-E-17062026-273534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3056]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3056]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3178(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के जळगाव जिले में NH53 के कि.मी. 360 से कि.मी.422.7 (एँस्डीओ आफिस नियर कोर्ट भुसावल) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एँस्डीओ भुसावल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा

सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जळगाव जिले में NH53 के कि.मी. 360 से कि.मी.422.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: जळगाव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भुसावल					
गांव का नाम: साकेगांव					
1	230/2/B	निजी	एग्रीकल्चर	0.0935 (हेक्टेयर)	0.0935
2	239/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
3	286/Paiki/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
4	293/1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1627 (हेक्टेयर)	0.1627
5	295/3 Plot No 19	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
6	295/3 Plot No 3/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
7	295/3 Plot No 8/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
8	306/1/2/B/10	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
9	306/1/2/B/11	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
10	306/1/2/B/12	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
11	306/1/2/B/4/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
12	306/1/2/B/6/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0185 (हेक्टेयर)	0.0185
13	306/1/2/B/7/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
14	306/1/2/B/8/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
15	306/1/2/B/9	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.028 (हेक्टेयर)	0.028

16	427/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
गांव का नाम: फेकरी					
17	36/1/Paiki/Plot No 3	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0093 (हेक्टेयर)	0.0093
18	36/1/Paiki/Plot No 4	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0144 (हेक्टेयर)	0.0144
19	37/5/Paiki/5	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
गांव का नाम: पिंप्री सेकम					
20	212/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: फुलगांव					
21	8/2 Plot No 24	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0096625 (हेक्टेयर)	0.0096625
22	8/2 Plot No 28	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.03065 (हेक्टेयर)	0.03065
23	8/2 Plot No 46	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.01125 (हेक्टेयर)	0.01125
24	8/2 Plot No 47/1	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
25	8/2 Plot No 48/1	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.00485 (हेक्टेयर)	0.00485
गांव का नाम: जाडगांव					
26	84	निजी	एग्रीकल्चर	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
27	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: काहुरखेडे					
28	118	निजी	एग्रीकल्चर	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
29	122/2/A	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: वरणगांव (CT)					
30	411	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
31	413/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0505 (हेक्टेयर)	0.0505
गांव का नाम: कंडारी					
32	133/1 Plot No 33/1	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.002737 (हेक्टेयर)	0.002737
33	136/3/2/1	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.2322 (हेक्टेयर)	0.2322
34	158/3 Plot No 5	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
35	170/3/1/A	निजी	एग्रीकल्चर	0.0459 (हेक्टेयर)	0.0459
गांव का नाम: भुसावल					

36	127/3/C/4/5/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
37	171/1/2/2 Pai	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.083382 (हेक्टेयर)	0.083382
38	171/1/2/2 Paiki 171/2/1 Paiki Plot No 1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01135 (हेक्टेयर)	0.01135
39	55/8	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					1.5144815

[फा. सं. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3178(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 360 to Km. 422.7 (SDO Office Near Court Bhusawal) in the district of JALGAON in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Bhusawal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 360 to Km. 422.7 (SDO Office Near Court Bhusawal) in the district of JALGAON in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: JALGAON		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhusawal					
Village: Sakegaon					
1	230/2/B	Private	Agriculture	0.0935 (Hectare)	0.0935
2	239/1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06

3	286/Paiki/1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
4	293/1	Private	Non Agriculture	0.1627 (Hectare)	0.1627
5	295/3 Plot No 19	Private	Non Agriculture	0.0054 (Hectare)	0.0054
6	295/3 Plot No 3/2	Private	Non Agriculture	0.0024 (Hectare)	0.0024
7	295/3 Plot No 8/2	Private	Non Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008
8	306/1/2/B/10	Private	Non Agriculture	0.029 (Hectare)	0.029
9	306/1/2/B/11	Private	Non Agriculture	0.027 (Hectare)	0.027
10	306/1/2/B/12	Private	Non Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
11	306/1/2/B/4/2	Private	Non Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
12	306/1/2/B/6/2	Private	Non Agriculture	0.0185 (Hectare)	0.0185
13	306/1/2/B/7/2	Private	Non Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
14	306/1/2/B/8/2	Private	Non Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
15	306/1/2/B/9	Private	Non Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
16	427/2	Private	Agriculture	0.0375 (Hectare)	0.0375
Village: Fekari					
17	36/1/Paiki/Plot No 3	Private	Non Agriculture	0.0093 (Hectare)	0.0093
18	36/1/Paiki/Plot No 4	Private	Non Agriculture	0.0144 (Hectare)	0.0144
19	37/5/Paiki/5	Private	Non Agriculture	0.0116 (Hectare)	0.0116
Village: Pimprisekam					
20	212/1/1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Fulgaon					
21	8/2 Plot No 24	Private	Non Agriculture	0.0096625 (Hectare)	0.0096625
22	8/2 Plot No 28	Private	Non Agriculture	0.03065 (Hectare)	0.03065
23	8/2 Plot No 46	Private	Non Agriculture	0.01125 (Hectare)	0.01125
24	8/2 Plot No 47/1	Private	Non Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
25	8/2 Plot No 48/1	Private	Non Agriculture	0.00485 (Hectare)	0.00485
Village: Jadgaon					
26	84	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
27	86	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Kahurkhede					

28	118	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
29	122/2/A	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Varangaon (CT)					
30	411	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
31	413/1	Private	Agriculture	0.0505 (Hectare)	0.0505
Village: Kandari					
32	133/1 Plot No 33/1	Private	Non Agriculture	0.002737 (Hectare)	0.002737
33	136/3/2/1	Private	Non Agriculture	0.2322 (Hectare)	0.2322
34	158/3 Plot No 5	Private	Non Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
35	170/3/1/A	Private	Agriculture	0.0459 (Hectare)	0.0459
Village: Bhusawal					
36	127/3/C/4/5/2	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
37	171/1/2/2 Pai	Government	Non Agriculture	0.083382 (Hectare)	0.083382
38	171/1/2/2 Paiki 171/2/1 Paiki Plot No 1	Private	Non Agriculture	0.01135 (Hectare)	0.01135
39	55/8	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Total					1.5144815

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director